पंचायत विधेयक क्या है?

रेणुका मिश्रा

पंचायत प्रणाली का मतलब है गांववासियों द्वारा चुने गए पांच व्यक्ति आपसी झगड़ों तथा गांव संबंधित सभी प्रश्नों का फैसला गांववालों के लिए करते हैं। पंचों की ज़िम्मेदारी होती है कि जो भी निर्णय लें वह न्यायपूर्ण होना चाहिए। इसलिए पंचों को पंच परमेश्वर माना जाता है। पंचायत व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि गांव स्तर पर निर्णय का अधिकार रहे, न कि कहीं दूर बैठी "सरकार" आम लोगों के जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखे।

गांव लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई है। गांव के विकास के लिए यह जरूरी है कि गांव के लोग अपनी ज़रूरतों के अनुसार योजनाएं बनाएं और उन्हें लागू करें। अब तक यह होता आया है कि दूर बैठी "सरकार" योजना बनाती है और नौकरशाही उसे लागू करती है। इसमें आम लोगों की कोई भागीदारी नहीं रहती है।

अप्रैल 1993 में संसद ने 73वां संशोधन विधेयक पारित किया। इस विधेयक की खास बात है कि हर गांव में एक ग्रामसभा होगी। गांव का हर बालिग गांव सभा का सदस्य होगा। इस ग्राम सभा के हक़ और ज़िम्मेदारियां राज्य विधानमंडल तय करेगी।

चुनाव

गांव पंचायत के सदस्यों का सीधा चुनाव ग्राम सभा के सदस्य करेंगे। गांव और ज़िले के मध्य में एक और इकाई होगी। उसका व जिला स्तर की पंचायत का चुनाव ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य करेंगे। ग्राम प्रधान का चुनाव किस प्रकार हो यह राज्य की सरकारें तय करेंगी।

एक बार चुन लिए जाने पर यह पंचायत पांच वर्ष तक कार्य करेगी। यदि किसी कारण पंचायत भंग की जाती है तो भंग करने के 6 माह के भीतर चुनाव करवाना होगा। पंचायत के चुनाव राजनैतिक पार्टियों के आधार पर नहीं होंगे।

राज्य स्तर पर एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का

गठन किया जाएगा जो इस बात की देख-रेख करेगा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से करवाए जाएं।

आरक्षण

अनुसूचित जातियों और जनजातियों की संख्या के अनुपात में हर स्तर पर उनके लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति व जनजातियों के कुल सदस्यों में से एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पंचायत के कुल सदस्यों में से एक तिहाई स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा पंचायत के प्रधानों के लिए भी आरक्षण है। जिले में जिस अनुपात में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग होंगे उतने प्रधान इन जातियों से होंगे। इसके अलावा एक तिहाई प्रधान महिलाएं होंगी।

राज्य स्तर पर हर पांच साल में एक वित्त आयोग की नियुक्ति होगी जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। यही आयोग राज्य स्तर की व स्थानीय संस्थाओं के बीच कोषों के वितरण के बारे में राज्य सरकार से सिफारिश करेगा।

गांवों के कुछ कार्य पंचायतों को सौंप दिए जाएंगे। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूचि की मदों में से कुछ ऐसी मदों का निर्देश किया गया है जो पंचायतों को सौंपी जा सकती हैं। ये ज्यादातर वे योजनाएं होंगी जो राज्य सरकार आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय निमित उन्हें सौंपना चाहें।

पंचायत के हक व ज़िम्मेदारियां

- सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास का प्लान बनाना।
- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं को लागू करना।
- राज्य सरकार द्वारा पंचायत को यह हक दिया जा सकता है कि फीस और चुंगी जमा कर सकें और उसको गांव के विकास में लगा सकें।
- राज्य के कोष से पंचायत को अनुदान दिया जा सकता है।
- राज्य सरकार 73वें संविधान संशोधन के पारित होने के एक वर्ष के भीतर पंचायतों के हक और ज़िम्मेदारियां निर्धारित करने के लिए कानून बनाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा गठित वित्त आयोग पंचायतों के आर्थिक कार्यों की देखरेख करके राज्य के गवर्नर को रिपोर्ट देंगे।

समस्याएं

इस कानून को लागू करने में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। और ये ऐसी परेशानियां हैं जिन पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो वह पूरे पंचायत कानून को मात्र कागज़ों तक सीमित रख सकती हैं।

इस संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें कानून पारित कर पंचायतों को हक और ज़िम्मेदारियां दें। जहां एक ओर यह कहा गया है, वहीं दूसरी ओर 11 वें शेड्यूल में कुछ विषय दिए गए हैं। इसका अर्थ हुआ कि मात्र उन्हीं क्षेत्रों में राज्य सरकारें पंचायतों को कार्य करने का अवसर देंगी। यदि इन विषयों पर नज़र डालें तो स्पष्ट होता है कि पंचायत की ज़िम्मेदारियां विकास कार्यक्रमों और सामाजिक न्याय तक ही सीमित कर दी गई हैं। जहां तक प्रश्न स्वायत्त शासन का है, यदि पंचायतों को लोकतांत्रिक प्रणाली की नींव माना है तो यह लक्ष्य पूरा नहीं होता है। केंद्र और राज्य के स्तर पर तो जनतंत्र, परंतु गांव के स्तर पर मात्र अफसरशाही का राज्य

होगा जैसा कि अब तक होता आया है। इससे ढांचे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा।

आज के माहौल में जहां केंद्र और राज्यों के बीच के हक और ज़िम्मेदारियां बांटने का सवाल एक विवाद का विषय बना हुआ है, वहां क्या यह अपेक्षा राज्य सरकारों से रखी जा सकती है कि वे पंचायतों को स्वेच्छा से स्वायत्त शासन, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के हक दे देंगी? क्या राज्य और केंद्र के बीच के विवाद को सुलटाए बिना राज्य और पंचायत के बीच उठने वाले विवादों को हल किया जा सकेगा?

महिलाओं की भागीदारी

महिलाओं के लिए आरक्षण का जो प्रावधान है इसमें पहली बार सीधे राजनैतिक सत्ता में भागीदारी की बात कही जा रही है। यह 30 प्रतिशत का निर्णय कैसे और क्यों लिया गया? स्त्रियां राष्ट्र का 50 प्रतिशत हैं। यदि अनुसूचित जाति और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की बात है तो स्त्रियों के साथ ऐसा क्यों नहीं?

दूसरा मुद्दा जो स्त्रियों के संबंध में उठता है वह यह है अमीर व ऊंची जाति के प्रभावशील लोगों के रिश्ते वाली महिलाओं को चुन लिया जाएगा। उनकी आवाज वही होगी जो उनके पति या रिश्तेदार कहेंगे? यह खतरा है, पर इसके प्रति सावधान रहना तथा महिलाओं के समूहों के लिए ज़रूरी है कि इसे समझें। इसके प्रति जागरूक रहें तथा ऐसी महिलाओं का चयन करें जो न केवल महिलाओं से संबंधित सवालों पर हस्तक्षेप करें बल्कि गांव के मसलों में सक्रिय भूमिका निभाएं। □